बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

संकल्प

विषयः सहरसा हवाई पट्टी (एयरस्ट्रिप) की 1000 वर्ग मीटर भूमि मेसर्स जी०आर०डी० एयर एकेडमी प्रा० लि० को उड़ान प्रशिक्षण संगठन एवं संबंधित गतिविधियों की स्थापना हेतु नामांकन के आधार पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित किए जाने एवं संबंधित आनुषंगिक निर्णयों की स्वीकृति के संबंध में।

गुरु राम दास एजुकेशनल ट्रस्ट (रजि०), नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित मेसर्स जी०आर०डी० एयर एकेडमी प्रा० लि०, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक विमानन निदेशालय द्वारा मेरठ हवाई पट्टी पर भूमि आवंटित की गई। इसी आधार पर उक्त संस्था द्वारा सहरसा हवाई पट्टी पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (Flying Training Organisation–FTO) की स्थापना हेतु भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया।

02. सहरसा हवाई पट्टी का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित है तथा यह विगत कई वर्षों से व्यावहारिक रूप से अप्रयुक्त रही है। वर्तमान में उड़ान (UDAN) योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा टर्मिनल भवन एवं रनवे के निर्माण हेतु निविदा निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे के विकास हेतु 12 एकड़ भूमि के अर्जन की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार सहरसा में रनवे, टर्मिनल एवं संबद्ध वायुपक्ष अवसंरचना, विकसित होने से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

03. प्राप्त प्रस्ताव पर दिनांक 11.09.2026 को संयुक्त सचिव, सिविल विमानन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया तथा कार्यवाही प्रतिवेदन पत्रांक–1268, दिनांक 11.09.2026 के माध्यम से मेसर्स जी०आर०डी० एयर एकेडमी प्रा० लि० से संशोधित एवं विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदनुसार, उक्त संस्था से पत्रांक GRD–AA/BIHAR/2026–27/011, दिनांक 14.09.2026 द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर दिनांक 14.09.2026 को समिति द्वारा पुनः विचार कर मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त करने की अनुशंसा की गई।

04. वर्तमान में सहरसा हवाई पट्टी से राज्य को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि इसके अनुरक्षण पर व्यय करना पड़ता है। प्रस्तावित व्यवस्था से एक अप्रयुक्त लोक परिसंपत्ति का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित होगा तथा उड़ान (UDAN) योजना के अंतर्गत भारत सरकार के व्यय से विकसित अवसंरचना का उपयोग भी बढ़ेगा।

05. वर्तमान में बिहार राज्य में मात्र एक उड़ान प्रशिक्षण संगठन कार्यरत है। सहरसा में एक अन्य FTO की स्थापना से राज्य की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि होगी तथा बिहार के युवाओं को राज्य में ही पायलट, प्रशिक्षक एवं भू–कर्मी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होगा। इससे विमानन क्षेत्र में रोजगार एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलने के साथ–साथ अन्य निवेशकों को भी राज्य में निवेश हेतु सकारात्मक संदेश मिलेगा।

06. प्रस्तावित व्यवस्था में राज्य सरकार पर कोई पूँजीगत व्यय का भार नहीं पड़ेगा। भवन, हैंगर, कक्षा–कक्ष (Class–Room) एवं संबद्ध सुविधाओं के निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन का संपूर्ण व्यय संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। पट्टा अवधि समाप्त होने पर संस्था द्वारा निर्मित समस्त संरचनाएँ बिना किसी दावे अथवा प्रतिकर के राज्य सरकार में निहित हो जाएँगी। प्रस्तावित वार्षिक पट्टा शुल्क के आधार पर 30 वर्षों की अवधि में राज्य सरकार को लगभग ₹16.61 करोड़ की प्राप्ति होने का अनुमान है।

07. प्रस्तावित आवंटन नामांकन (Nomination) के आधार पर किया गया है। इसके समर्थन में मुख्य आधार राज्य में उड़ान प्रशिक्षण क्षमता की तत्काल आवश्यकता, निवेश–आकर्षण तथा वर्तमान में मात्र एक FTO का कार्यरत होना है। आवेदक संस्था का प्रस्ताव स्वप्रेरित (Suo–Motu) है तथा संस्था के पास मेरठ हवाई पट्टी हेतु स्वतंत्र प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त आशय–पत्र उपलब्ध है, जिससे उसकी पात्रता एवं गंभीरता का पूर्व परीक्षण होता है। पट्टा दर का निर्धारण मेरठ में स्वीकृत दर को आधार–मानक (Benchmark) मानते हुए किया गया है, जिससे राज्य को राजस्व हानि की आशंका नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवंटन विशिष्ट (Exclusive) नहीं होने के कारण अन्य इच्छुक संस्थाओं के लिए अवसर अवरुद्ध नहीं होंगे तथा राज्य सरकार भविष्य में अन्य उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को भी भूमि आवंटित करने हेतु स्वतंत्र रहेगी। उड़ान योजना के अंतर्गत सहरसा की अवसंरचना शीघ्र तैयार हो रही है, अतः उसका समयबद्ध उत्पादक उपयोग राज्यहित में है।

08. सहरसा हवाई पट्टी पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) एवं संबद्ध गतिविधियों की स्थापना हेतु स्थल उपयुक्त है। प्रस्ताव के अनुसार प्रारंभिक रूप से 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जाएगी। यह क्षेत्रफल हैंगर, ग्राउंड क्लास, सिम्युलेटर एवं संचालन कार्यालय आदि के लिए न्यून प्रतीत होता है। भविष्य में संस्था द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा उड़ान परियोजना के अभियंताओं की तकनीकी अनुशंसा के आधार पर भूमि के क्षेत्रफल का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा। वार्षिक पट्टा शुल्क को आवंटित भूमि के क्षेत्रफल से संबद्ध (Area-linked) रखा जाएगा, जिससे क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर पट्टा शुल्क में भी आनुपातिक वृद्धि स्वतः प्रभावी हो सके। चिह्नित भूखंड रनवे स्ट्रिप, RESA एवं बाधा सीमा सतहों (Obstacle Limitation Surfaces) से बाहर होगा तथा भविष्य में रनवे/टर्मिनल विस्तार में बाधक नहीं होगा। स्थल योजना पर जिलाधिकारी, सहरसा की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी।

09. बिहार वित्त नियमावली के नियम–438 के प्रावधानों के आलोक में उक्त आवंटन विशिष्ट (Exclusive) नहीं होगा। राज्य सरकार सहरसा हवाई पट्टी पर उपलब्ध क्षमता के अनुसार अन्य उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को भी साथ–साथ अथवा भविष्य में भूमि आवंटित करने हेतु स्वतंत्र रहेगी तथा आवेदक संस्था का इस संबंध में कोई विशिष्ट अथवा एकाधिकार संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। अन्य प्रयोजन से उपयोग अथवा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में बिहार वित्त नियमावली एवं अन्य लागू नियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

10. मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में मेसर्स जी०आर०डी० एयर एकेडमी प्रा० लि० को सहरसा हवाई पट्टी पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) एवं संबंधित गतिविधियों की स्थापना हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित की जाएगी : —

(क) पट्टा अवधि सीमांकित भूमि का भौतिक कब्जा सौंपे जाने की तिथि से 30 (तीस) वर्ष की होगी।

(ख) प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक पट्टा शुल्क ₹25,00,000/– (पच्चीस लाख रूपये) निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पट्टा शुल्क की देयता सीमांकित भूमि का भौतिक कब्जा सौंपे जाने की तिथि से प्रारंभ होगी।

(ग) संस्था द्वारा संचयी वार्षिक पट्टा शुल्क के दोगुने के बराबर निष्पादन बैंक गारंटी (PBG/EBG) आशय–पत्र (Letter of Intent) निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर जमा की जाएगी।

(घ) वार्षिक पट्टा शुल्क प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि तक देय होगा। निष्पादन बैंक गारंटी का प्रत्येक वर्ष नवीकरण एवं आवश्यकतानुसार पुनःपूर्ति की जाएगी। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी तथा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में एकरारनामा समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

(ङ) एकरारनामा निष्पादित होने की तिथि से 6 माह के भीतर संस्था द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) में अनुमोदन हेतु आवेदन करना तथा 12 से 18 माह के भीतर प्रशिक्षण गतिविधियाँ वास्तविक रूप से प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। विलंब की स्थिति में क्षतिपूर्ति तथा निरंतर विलंब होने पर करार समाप्त करने का प्रावधान रहेगा।

(च) बिहार के निवासी विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक सत्र में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में से 30 प्रतिशत सीटें बिहार के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(छ) भूमि आवंटन विशिष्ट (Exclusive) नहीं होगा तथा राज्य सरकार अन्य उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को भी सहरसा हवाई पट्टी पर भूमि आवंटित करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

(ज) भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में ही निहित रहेगा। संस्था को भूमि का उप–पट्टा (Sub–Lease), बंधक अथवा किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा। पट्टा अवधि की समाप्ति पर संस्था द्वारा निर्मित समस्त संरचनाएँ बिना किसी दावे अथवा प्रतिकर के राज्य सरकार में निहित हो जाएँगी।

(झ) उड़ान (RCS) योजना के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होगी तथा प्रशिक्षण उड़ानें उनमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगी।

(ञ) DGCA की समस्त अनुमतियाँ तथा सुरक्षा, अग्निशमन, विद्युत, पर्यावरण एवं PESO संबंधी अनापत्तियाँ प्राप्त करने का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था का होगा।

(ट) सहरसा हवाई पट्टी की साझा अवसंरचना (Common Infrastructure), यथा एयरस्ट्रिप, एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल टावर एवं वायुपक्ष अवसंरचना पर किसी एक सेवा प्रदाता अथवा उड़ान प्रशिक्षण संगठन का एकाधिकार नहीं होगा। पट्टा एकरारनामा संबंधित संस्था को आवंटित भूमि के क्षेत्रफल तक ही सीमित रहेगा।

11. उक्त शर्तों के आलोक में संबंधित संस्था को आशय–पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया जाएगा। तदुपरांत एकरारनामा के प्रारूप को विधि विभाग से विधिक परीक्षण कराने के उपरांत निष्पादित किया जाएगा। एकरारनामा में मध्यस्थता का स्थान पटना तथा न्यायालयों का क्षेत्राधिकार पटना स्थित न्यायालयों का होगा।

12. उपर्युक्त के आलोक में सहरसा हवाई पट्टी (एयरस्ट्रिप) की 1000 वर्ग मीटर भूमि मेसर्स जी०आर०डी० एयर एकेडमी प्रा० लि० को उड़ान प्रशिक्षण संगठन एवं संबंधित गतिविधियों की स्थापना हेतु नामांकन के आधार पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित करने तथा उपर्युक्त शर्तों के अनुसार आशय–पत्र एवं एकरारनामा निर्गत/निष्पादित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

13. संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.10.2026 के मद संख्या 31 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4/11/26

(डॉ0 निलेश रामचंद्र देवरे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– सि०वि०नि०(योजना)–10–02/2023– 1551 दिनांक– 06/11/2026
प्रतिलिपिः–वित्त (ई–गजट प्रशाखा) विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

4/11/26
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– सि०वि०नि०(योजना)–10–02/2023– 1551 दिनांक– 06/11/2026
प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4/11/26
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– सि०वि०नि०(योजना)–10–02/2023– 1551 दिनांक– 06/11/2026
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/जिलाधिकारी, सहरसा/प्रभारी अभियंता उड़ान परियोजना सहरसा हवाई पट्टी, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार/महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार/सभी सदस्य विभागीय समिति/उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन इकाई एवं उत्तरदायी प्रबंधक, बिहार उड्डयन संस्थान, सि0वि0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/11/26
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– सि०वि०नि०(योजना)–10–02/2023– 1551 दिनांक– 06/11/2026
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, सिविल विमानन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/मेसर्स जी०आर०डी० एयर एकेडमी प्रा० लि०, 214 राजपुर रोड, देहरादुन, उत्तराखण्ड–248001 ई–मेल आई0डी0–chairman@grdedu.in को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/11/26
सरकार के सचिव